

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-481/26-11 (FC-UTCL/FP/UP/Min/47074/2020) दिनांक: लखनऊ: अगस्त 11, 2022  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उ०प्र०, लखनऊ।

**विषय:-** जनपद-सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि० डाला, सोनभद्र द्वारा कजरहट (डाला) लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 294.082 हे० आरक्षित वन भूमि एवं भलुआ लाईम स्टोन माइन्स के अन्तर्गत 50.606 हे० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 344.688 हे० आरक्षित वन भूमि पर खनन कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 30 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किए जाने एवं बाधक 16534 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

**संदर्भ:-** आपका पत्रांक-231/11-सी- FP/UP/Min/47074/2020, दिनांक 19.07.2022

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयक प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक क्रमशः पत्र संख्या-198/26-11, दिनांक 28.07.2022 (छायाप्रति संलग्नक-1) एवं पत्र संख्या-260/33-1, दिनांक 28.07.2022 (छायाप्रति संलग्नक-2) के माध्यम से इस कार्यालय को आख्या, टिप्पणी एवं संस्तुति उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्न प्रकार है-

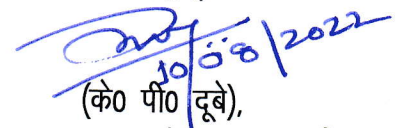
प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Min/47074/2020 में प्रभावित कुल 1284.243 हे० (344.688 हे० वन भूमि + 939.555 हे० गैर वन भूमि) ओबरा वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम-बिल्ली, पडरछ एवं कोटा में पड़ने वाली भूमि है। उक्त भूमि का सम्पूर्ण रकबा कैमूर वन्य जीव विहार की सीमा के 01 कि०मी० बाहर तथा कैमूर वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन से भी बाहर है, परन्तु कैमूर वन्य जीव विहार के ईको सेन्सिटिव जोन सीमावर्ती एवं निकटवर्ती सटा हुआ स्थित है।

उपरोक्त आख्या के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना समीचीन एवं उचित होगा कि प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Min/47074/2020 के कैमूर वन्य जीव विहार की सीमा के ईको-सेन्सिटिव जोन क्षेत्र के सीमावर्ती एवं निकटवर्ती होने के कारण वन्य जीवों के प्राकृतवास, उनके आहार-विहार, स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यों एवं गतिविधियों पर स्वाभाविक रूप से स्वतः पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के न्यूनीकरण उपायों के सम्बन्ध में Mitigation Measures की आवश्यकता होगी।

अतएव कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र हेतु Mitigation Measures पर आने वाली लागत धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित प्रयोक्ता अभिकरण (User Agency) द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा लगायी जाने वाले शर्तों के अनुरूप किया जाना मान्य होगा।

**संलग्नक:-**उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

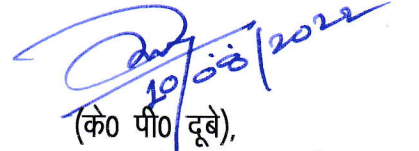
  
(के० पी० दूबे),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या- 481 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

  
10/08/2022

(के० पी० दूबे),

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

